

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 जून 2016—ज्येष्ठ 12, शक 1938

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2016

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परंतुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(एक) अनुक्रमांक (उनतालीस) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए,

(दो) अनुक्रमांक (चालीस) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जून 2016

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 2 जून, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 2nd June 2016

No. F. 30-08-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to Rule 3 of the Madhya Pradesh Tranist (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F-30-08-2002-X-3, dated 24th September, 2015, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table,—

- (i) Serial number (XXXIX) and entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) Serial number (XXXIX) and entries relating thereto shall be omitted;

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.